

राज्यपाल श्री बागडे के निर्देश पर जारी हुई अधिसूचना राजभवन का नाम अब 'लोकभवन' होगा

जयपुर, 2 दिसम्बर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत राजभवन को अब 'लोकभवन' के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे की पहल पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। एक दिसम्बर 2025 से यह अधिसूचना प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में 'लोकभवन' नामकरण बहुत बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है। हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही 'हम भारत के लोग' से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यस्थल अब 'लोकभवन' नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा की 'लोकभवन' केवल नामकरण नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, लोक आकांक्षाओं का प्रतीक है।

राज्यपाल ने कहा कि 'राज' शब्द ब्रिटिश शासन के अवशेषों की याद दिलाता है। इसीलिए केन्द्र सरकार की पहल पर यह बड़ा बदलाव किया गया है।
